

कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
(दूरभाष/फैक्स सं०-०५९४२&२३५४५२ e-mail:- cf_skumaon@rediffmail.com)

पत्रांक:- १२५० / १२-१ दिनांक: नैनीताल:, १५ दिसम्बर, २०२१.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय— वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/37890/2018) शहरफाटक से दो घोड़िया मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ— प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक-1956 / १३-२-(१)
दिनांक-11.12.2021.

महोदय,
प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण के प्रस्तावों की ३ प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गई। प्रस्तावों में जॉच उपरान्त आवश्यक प्रपत्रों में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तावों को मूल में भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही हैं।
संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय,

(कुबेर सिंह बिष्ट)

वन संरक्षक,

दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पत्रांक— १२५० / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि — प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वे विषयगत प्रकरण के प्रस्तावों को इस कार्यालय से प्राप्त कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

(कुबेर सिंह बिष्ट)

वन संरक्षक,

दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।

०.८

भाग-111
 (शहरपाटक से दो घोड़िया मोटर रोड)
 (प्रस्ताव संख्या -FP/UK/ROAD/37890/2018)
 (सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

<p>1—क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है(हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किये गये हैं, को संलग्न करें।</p>	<p>नहीं प्रस्ताव के अनुरूप उक्त प्रस्तावित मार्ग 5 किमी0 लम्बाई तथा 9 मी0 चौड़ाई में गठित किया गया है। जिस हेतु आरक्षित वन भूमि 2550 मीटर यानि 2.295 है0 वन पंचायत भूमि 1275 मीटर यानि 1. 058 है0 नाप भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रस्तावित मार्ग में 691 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के 74 वृक्ष प्रभावित होते हैं। अतः अलग से निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा 16—09—2020 को किये गये निरीक्षण से सहमति व्यक्त की जाती है।</p>
<p>2—क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।</p>	<p>हॉ सहमत</p>
<p>3—विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशों।</p>	<p>इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है कि याचक विभाग/प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उक्त के अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार की वृक्षों आदि को क्षति पहुंचायी जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वह स्वयं वहन करेगा। अतः स्वीकृति कर अग्रेत्तर प्रेषित।</p>

दिनांक— 15-12-2021

स्थान— नैनीताल

(कुबेर सिंह बिष्ट)
 वन संरक्षक,
 दक्षिणी कुमौऊ वृत्त उत्तराखण्ड नैनीताल।